FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0171 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 13/08/2024 21:14 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/08/2024 **Date To (दिनांक तक):** 12/08/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/08/2024 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 13/08/2024 21:14:45 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 0.500 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** UPKHAND KARYALYA PARISAR, DEGANA DIST. NAGAUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Radhakishan

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Goverdhan Ram

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Shitala Mata Mandir Ke pass, Dukosee, Kotwali Nagaur, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Shitala Mata Mandir Ke pass, Dukosee, Kotwali Nagaur, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Jalam Singh		पिता:Chhagan Singh	1. Gram Post Rajod,Sanju,KUCHERA,NAGAUR,RAJASTHAN,INDIA
2	Mahadev Ram		पिता:Mohan Ram	1. Gaju,KUCHERA,NAGAUR,RAJA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		80,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 80,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक, ACB, नागौर, राज., विषय - सदर थाना नागौर रिडर महादेव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाने बाबत्। महोदय, नम्र निवेदन है कि में राधाकिशन s/o गोरधन राम, जाति विश्नोई, उम्र 32 वर्ष, निवासी शितला माता मन्दिर के पिछे डुकोसी नागौर का रहने वाला हूं। मेरी होटल श्री श्याम होटल एण्ड रेस्टोरेंट जो कि जोधपुर रोड़ चिमरानी स्थित है जिसमें एक लड़का और लड़की दिनांक 8.8.2024 को खाना खाने के लिये कमरा लिया जो की अपने आप को बहन-भाई बता रहे थे और बोला खाना खाकर हमें जोधपुर जाना है बोल के ठहरे थे तो उनके विरूद्ध सदर पुलिस थाना में अपराध संख्या 188/24 दर्ज हुआ था जिस पर CI Saab व रिडर महादेव मेरी होटल पर आये थे व मुझे बोला की आपको इस केस में मे मुल्जिम बना दुंगा व मुझे साथ लेकर पुलिस थाना सदर लेकर आये रिडर महादेव ने मुझसे 2 लाख रूपये की मांग की और मुझे जालम सिंह जी से मिलवाया और बोला की ये पुरी राशी आप जालम सिंह जी को दे देना। में मेरे वाजिब काम के बदले रिडर महादेव व जालम सिंह को रिश्वत देना नहीं चाहता हूं। रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। मेरा इन दोनों व्यक्तियों से कोई उधार लेन-देन नहीं है तथा ना ही कोई रंजिश है। सदर थाने का कांस्टेबल हनुमान राम जो कि 8.8.24 को होटल आया उस समय वापस आने के समय इस मुकदमें के संबंध में मेरे से 5000 रू. रोकड़ी लिया तथा CI साब ने 8.8.24 को बोला की में आपके खिलाफ जो भी सबूत बनते हैं उन्हें नष्ट करवा दूंगा और आपको पाक साफ बचा लुंगा। मेरा इस मुकदमें के संबंध में कोई अपराध नहीं है और ना ही में किसी गलत काम में लिप्त हूं। अतः इनके विरूद्ध सख्त से सख्त कानूनी कारवाई करावें। Date 11.8.2024 प्रार्थी नाम राधाकिशन Age 32 निवासी शितला माता मन्दिर डुकोसी नागौर Mob एसडी राधाकिशन। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई। एसडी कल्पना सोलंकी 11.08.2024 कार्यवाही पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर निवेदन है कि दिनांक 11.08.2024 को वक्त 12.30 पी.एम. परिवादी श्री राधाकिशन पुत्र श्री गोरधन राम, जाति विश्नोई, उम्र 32 वर्ष, निवासी शीतला माता मंदिर के पास, डूकोसी, पुलिस थाना कोतवाली, तहसील व जिला नागौर हाल होटल संचालक श्री श्याम होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, जोधपुर रोड़, नागौर उपस्थित कार्यालय आया व एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी को उपरोक्त आशय का प्रस्तुत किया। परिवादी की उक्त रिपोर्ट का अवलोकन कर उससे मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी ने अवगत करवाया कि दिनांक 08.08.2024 को पुलिस थाना सदर नागौर के सी.आई. साहब व उनका रीडर महादेव मेरी होटल पर आये और थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 188/2024 में मुझे मुल्जिम बनाने की धमकी देकर 2 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की व रिश्वत के बारे में बातचीत करने के लिए जालम सिंह हैड कानि0 से मिलने को कहा है। रिश्वत नहीं देने पर मुझे झूठा मुल्जिम बनाने की धमकी दे रहे हैं जबकि उक्त प्रकरण में मेरी कोई भूमिका नहीं है, परिवादी की उक्त लिखित रिपोर्ट तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड कार्यालय आलमारी में से निकाल कर परिवादी श्री राधाकिशन को उसे ऑपरेट करने व श्री जालम सिंह के पास जाकर अपने कार्य के संबंध में व रिश्वती लेन देन के सम्बन्ध में वार्ता करने की समझाईश कर कार्यालय के श्री नेमीचन्द कानि0 405 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाते हुए कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी के साथ श्री श्याम होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, जोधपुर रोड़ चिमरानी, नागौर रवाना किया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। वक्त 03.15 पी.एम. पर श्री नेमीचन्द कानि. नम्बर 405 एवं परिवादी श्री राधाकिशन के उपस्थित कार्यालय आया तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया। परिवादी श्री राधाकिशन ने बताया कि एसीबी चौकी नागौर से हम मेरी निजी कार से रवाना होकर मेरी होटल श्री श्याम होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, जोधपुर रोड़, नागौर पहुंचे, जहां पर होटल के पास कानि0 नेमीचन्द ने टेप रिकॉर्डर चालू कर मुझे दिया जिस पर मैं मेरी होटल के अन्दर गया जहां पुलिस थाना सदर के थानाधिकारी श्री अजय कुमार व कानि0 श्री महादेव राम मिले। जिनसे मैंने सदर थाने के प्रकरण संख्या 188/24 में मुझे मुल्जिम नहीं बनाने व रिश्वत राशि लेन-देन के संबंध में बातचीत की तो कहा कि तुम श्री जालम सिंह हैड कानि0 से मिल लेना वो आपको रिश्वत के बारे में बता देंगे। इसके बाद मैं वहां से रवाना होकर आपके कानि0 श्री नेमीचन्द को टेप रिकॉर्डर बन्द करके दे दिया। इसके बाद हम दोनो वहां से रवाना होकर उपस्थित चौकी आये हैं। जिस पर श्री नेमीचन्द कानि. 405 ने परिवादी के उपरोक्त कथनों की ताईद की। जिस पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू

कर सुना गया तो परिवादी व आरोपी के मध्य कार्य से संबंधित वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। रिश्वती मांग का स्पष्ट सत्यापन नहीं होना पाया गया। जिस पर परिवादी को आरोपीगण के बतायेनुसार कल दिनांक 12.08.2024 को श्री जालम सिंह हैड कानि0 से मिलने की हिदायत कर रूखस्त किया गया। ताबाद दिनांक 12.08.2024 को वक्त 01.10 पी.एम. पर परिवादी श्री राधाकिशन कार्यालय हाजा में उपस्थित आया और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आज मैं श्री जालम सिंह हैड कानि0 से मिलकर मेरे कार्य व रिश्वत के संबंध में वार्ता करूंगा, जिस पर श्री नेमीचन्द कानि0 405 व परिवादी श्री राधाकिशन को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु श्री श्याम होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, जोधपुर रोड़, नागौर के लिए रवाना किया गया। वक्त 02.30 पी.एम. पर श्री नेमीचन्द कानि. नम्बर 405 एवं परिवादी श्री राधाकिशन के उपस्थित कार्यालय आया तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया। परिवादी श्री राधाकिशन ने बताया कि एसीबी चौकी नागौर से हम मेरी निजी कार से रवाना होकर मेरी होटल पहुंचे, जहां श्री नेमीचन्द कानि0 ने मुझे टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया और श्री जालम सिंह पूर्व में बतायेनुसार होटल पर उपस्थित नहीं आने से जरिये मोबाईल वार्ता की तो बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप सदर थाने आकर मिल सकते हो, जिस पर हम दोनों होटल से रवाना होकर पुलिस थाना सदर, नागौर पहुंचे जहां श्री नेमीचन्द कानि0 को मुख्य द्वार के बाहर छोड़कर मैं पुलिस थाना सदर के अन्दर गया, जहां थाना परिसर में मुझे श्री जालम सिंह उपस्थित मिले, जिनसे मैंने मेरे काम के संबंध में बातचीत की तो श्री जालम सिंह ने मुझे उक्त प्रकरण में मुल्जिम नहीं बनाने व मेरी मदद करने के लिए 1,00,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की और कहा कि मैं सी.आई. साहब को बोलकर तुझे पूरी तरह प्रकरण से पाक साफ करवा दूंगा तथा उक्त रिश्वत राशि आज ही देने का बोला है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने पर परिवादी को 1,00,000/- रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित चौकी आने की हिदायत देकर भेजा गया। थोड़ी देर बाद परिवादी श्री राधाकिशन मय होटल सहकर्मी श्री शिवरतन के पूर्व निर्देशानुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1,00,000/- की व्यवस्था कर उपस्थित चौकी आये। जिस पर श्री नेमीचन्द कानि0 नं0 405 को दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी हेतु अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नागौर के नाम की तहरीर देकर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नागौर को रवाना किया गया। थोड़ी देर बाद श्री नेमीचन्द कानि0 नं0 405 मय दो स्वतन्त्र गवाहान श्री पंकज भाटी पुत्र श्री उदय सिंह भाटी, जाति माली, उम्र 30 वर्ष, निवासी मकान नं0 97, अमरसिंह कॉलोनी नागौर, पुलिस थाना कोतवाली, तहसील व जिला नागौर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नागौर व श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री हनुमान सिंह, जाति राजपूत, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट सुखवासी, पुलिस थाना सदर, तहसील व जिला नागौर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नागौर के उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान से परिचय किया जाकर की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत करवाते हुए परिवादी श्री राधाकिशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट गवाहान श्री पंकज भाटी व श्री सुरेन्द्र सिंह को पढकर सुनाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये। जिस पर दोनों गवाहान ने सन्तुष्ट होकर स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति प्रदान की, जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री राधाकिशन को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने का कहने पर उसने अपने पास से पांच-पांच सौ रूपये के 200 नोट कुल 1,00,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये। जिनका विवरण इस प्रकार है - 1. 2EK 463821, 2. 0ST 949427, 3. 2WD 216811, 4. 7EP 253097, 5. 6GK 379627, 6. 5EH 971582, 7. 7TP 922677, 8. 2NP 781892, 9. 3BM 346504, 10. 3BM 365489, 11. 5FN 660573, 12. 0GF 762522, 13. 7UF 437479, 14. 2FM 940589, 15. 0TD 072971, 16. 3AN 443766, 17. 6CS 755677, 18. 5EH 990982, 19. 3HA 245625, 20. 9NS 968886, 21. 6GV 261794, 22. 0QK 936250, 23. 6EM 888032, 24. 9VK 413358, 25. 2QT 962277, 26. 6GG 470879, 27. 3KE 271794, 28. 6SL 046136, 29. 9BS 107208, 30. 9PF 083608, 31. 9SD 578248, 32. 6BB 217059, 33. 6SP 517415, 34. 2FG 607608, 35. 0NM 291923, 36. 5NW 048395, 37. 1QK 639639, 38. 1UL 814617, 39. 7CF 140359, 40. 3QF 945359, 41. 4CQ 751813, 42. 6KM 577900, 43. 2WV 214961, 44. 8AV 897059, 45. 8RA 498562, 46. 0MC 048186, 47. 3PE 525965, 48. 0BQ 281121, 49. 1NP 139604, 50. 9DB 492544, 51. 0HG 875348, 52. 1KD 325101, 53. 8CV 254447, 54. 4QQ 469115, 55. 7UU 665044, 56. 2RG 362331, 57. 9LN 821508, 58. 7MW 522617, 59. 3BT 751306, 60. 1HA 731916, 61. 9BA 035785, 62. 5TB 632549, 63. 9DW 441274, 64. 3SW 532506, 65. 3BV 148056, 66. 5CK 807314, 67. 6MN 596111, 68. 4DP 024664, 69. 2KA 803660, 70. 1EF 573479, 71. 7KH 829595, 72. 8NA 764042, 73. 9NT 690152, 74. 9EF 054998, 75. 7LS 997760, 76. 4PU 348998, 77. 8BA 132823, 78. 0UW 944405, 79. 7AN 148580, 80. 9VR 207750, 81. 0UE 390436, 82. 9BN 162621, 83. 1FT 225219,

84. 4CL 450645, 85. 9GA 404757, 86. 7TU 357315, 87. 0CG 449650, 88. 6GE 360074, 89. 2QA 955822, 90. 8MA 697702, 91. 0CV 864690, 92. 5HS 063588, 93. 5NE 505131, 94. 3KF 352400, 95. 4PF 405588, 96. 7VC 291425, 97. 8CL 520998, 98. 9EL 123733, 99. 4KB 520351, 100. 2WD 782035, 101. 2WD 782036, 102. 2WD 782037, 103. 5CM 892107, 104. 1EK 074721, 105. 1WB 266411, 106. 8PM 449381, 107. 1PA 312727, 108. 4WL 217107, 109. 2PR 051413, 110. 3EB 652605, 111. 4WA 539347, 112. 6RM 443124, 113. 4DQ 756162, 114. 2NK 843660, 115. 7FW 415311, 116. 6AP 878863, 117. 6BE 242397, 118. 5QS 646688, 119. 8MU 723996, 120. 4UU 746371, 121. 8FP 298983, 122. 2WD 751793, 123. 9QW 251395, 124. 3DF 833596, 125. 2SK 745989, 126. 0MQ 460473, 127. 5PN 424130, 128. 2AQ 273778, 129. 8ML 391121, 130. 0BN 804950, 131. 0UB 342165, 132. 9CS 170416, 133. 6SC 300805, 134. 5BV 964555, 135. 6EH 227471, 136. 8AB 637229, 137. 3BK 374313, 138. 3WN 526567, 139. 5AE 276639, 140. 9GH 732490, 141. 2CW 363269, 142. 3FS 019874, 143. 9ET 071843, 144. 1MS 404829, 145. 3AB 625792, 146. 3EW 871293, 147. 3DD 171623, 148. 3QL 842152, 149. 0VN 855242, 150. 0MQ 317527, 151. 0ML 867818, 152. 4QB 219469, 153. 6VH 149819, 154. 8AL 238657, 155. 8RP 709173, 156. 7TL 579164, 157. 2WD 493113, 158. 5LH 062345, 159. 0CS 362489, 160. 2EG 218602, 161. 8SL 666582, 162. 5FW 164997, 163. 8PH 070539, 164. 0CF 061146, 165. 7HW 341647, 166. 9NS 196723, 167. 2FM 454355, 168. 6NW 656992, 169. 8BR 928554, 170. 6RE 560175, 171. 5LT 798542, 172. 9GN 989365, 173. 6BB 231085, 174. 8DW 112277, 175. 5MA 300381, 176. 0CT 449967, 177. 3PD 347570, 178. 2HS 233500, 179. 3KU 691283, 180. 2VV 607962, 181. 0FM 488725, 182. 4FM 830369, 183. 2EM 146348, 184. 8BH 090685, 185. 2WD 976168, 186. 0RQ 507288, 187. 0PH 183600, 188. 1HP 908341, 189. 1LC 295586, 190. 8VV 053112, 191. 1CH 178814, 192. 8EL 969549, 193. 6DF 869259, 194. 3TA 591939, 195. 3CM 706811, 196. 4CB 204631, 197. 3MC 404621, 198. 6BS 533740, 199. 3SR 351176, 200. 2NC 939283 तत्पश्चात् श्रीमती संगीता म0 कानि0 नं. 332 से कार्यालय की अलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाया जाकर कार्यालय कक्ष में स्थित टेबल के उपर अखबार पर रखकर उपरोक्त सभी नोटों के दोनों ओर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री राधाकिशन की जामा तलाशी गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह से लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों को श्रीमती संगीता म0 कानि0 से परिवादी के पहनी हुई जींस पेंट की दायीं जेब में कुछ भी शेष नहीं छोड़ते हुए रखवाये गये। परिवादी श्री राधाकिशन को बताया गया कि इन नोटों को तब तक नहीं छुए जब तक आरोपी रिश्वत की मांग नही करें तथा उसके द्वारा रिश्वत मांगने पर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोट अपनी जेब से निकाल कर उसे देवे तथा अपने कार्य से सम्बन्धित वार्ता करें। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर ट्रेप दल के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मिस कॉल/मैसेज भी करें। यह भी ध्यान रखे कि आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद कहां रखता है या छुपाता है। दोनों गवाहों को भी निर्देश दिए गये कि यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती लेन-देन व इनके बीच होने वाली वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी रंगहीन रहा। गिलास के इस रंगहीन घोल में श्रीमती संगीता म0 कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुंलाबी हो गया। इस प्रकार दोनों गवाहों व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया का महत्व दृष्टान्त देकर समझाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा पुनः श्रीमती संगीता म0 कानि0 332 से कार्यालय की अलमारी में रखवाकर गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया तथा अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया है व डिस्पोजल गिलास को जलवाया जाकर श्रीमती संगीता म0 कानि0 के हाथों को साबुन व पानी से साफ धुलवाये गये। समस्त ट्रेप दल सदस्यों के हाथ साफ धुलवाकर आवश्यक निर्देश दिए गये तथा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साफ धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाए गये। परिवादी श्री राधाकिशन को वक्त रिश्वत लेन-देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया तथा श्रीमती संगीता म0 कानि0 नं. 332 को कार्यालय में ही रहने की हिदायत दी गई। वक्त 04.30 पी.एम. पर परिवादी श्री राधाकिशन को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर मय होटल सहकर्मी श्री शिवरतन के परिवादी की निजी कार से आरोपी श्री जालम सिंह से मिलकर रिश्वत राशि लेन-देन हेतु आगे-आगे रवाना कर उनके पिछे श्री नेमीचन्द कानि0 405, श्री प्रेमाराम कानि0 218 व श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 को जरिये प्राईवेट वाहन पुलिस थाना सदर नागौर को रवाना कर पिछे-पिछे मन् अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक, कल्पना सोलंकी मय स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेन्द्र सिंह व श्री पंकज भाटी मय ट्रेप दल के सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक, श्री मोहनराम हैड कानि0, श्री बालाराम कानि., श्री कुमेरदान कानि., श्री राजेन्द्र झूरिया कानि. 150, श्री कानाराम कानि0 532, श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री सुरेन्द्र सिंह कानि. चालक के जरिये प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स व लेपटॉप-प्रिन्टर के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु पुलिस थाना सदर, नागौर को रवाना होकर वक्त 04.50 पी.एम. पर पुलिस थाना सदर नागौर के बाहर पुलिया के नीचे० पहुंचे, जहां प्राईवेट वाहनों को साईड में खड़ा कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान ट्रेप दल के सदस्य अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए पुलिस थाना सदर नागौर के आस-पास खड़े होकर परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। वक्त 05.30 पी.एम. पर परिवादी श्री राधाकिशन ने पुलिस थाना सदर, नागौर के मुख्य द्वार के सामने खड़ा होकर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत स्वीकृति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप दल के सदस्यों को साथ लेकर परिवादी के पास पुलिस थाना सदर, नागौर के मुख्य द्वार के पास पहुंची, जहां परिवादी श्री राधाकिशन ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये वॉट्सएप कॉल पर बताया कि मैं श्री जालम सिंह हैड कानि. से पुलिस थाना सदर नागौर के मुख्य द्वार के बाहर मेरी कार में मिला और मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत की तथा श्री जालम सिंह हैड कानि. द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर मैंने रिश्वत राशि 1,00,000/- (एक लाख) रूपये अपनी पेंट की दांयी जेब में से निकालकर श्री जालम सिंह हैड कानि. को दी तथा कुछ रूपये कम करने का निवेदन करने पर रिश्वत राशि में से 20,000/- रूपये मुझे रखने का कहा, जो मैने वापिस अपनी जेब में रख लिये तथा श्री जालम सिंह ने रिश्वत राशि 80,000/- रूपये अपने दाहिने हाथ में लेकर गिनकर अपने पहनी पेंट की दांयी जेब में रख लिये व वापिस थाने के अन्दर जाने लगा, उसके बाद मैंने साईड में आकर आपको सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत लेने का ईशारा कर दिया तथा परिवादी ने चालू वॉट्सएप कॉल पर थाने के अन्दर जाते हुए व्यक्ति के बारे में बताया कि जो आसमानी शर्ट पहना व्यक्ति थाने के अन्दर जा रहा है, उक्त व्यक्ति ही श्री जालम सिंह हैड कानि0 है, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाब्ता ने घेरा देकर उक्त व्यक्ति को रोककर अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री जालम सिंह पुत्र श्री छगन सिंह, जाति राजपूत, उम्र 51 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट राजोद, पुलिस थाना कुचेरा, जिला नागौर हाल हैड कानि0 नं0 1086, पुलिस थाना सदर, जिला नागौर होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी हैड कानि0 को परिवादी श्री राधाकिशन से रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा गया तो आरोपी जालम सिंह ने बताया कि मैंने श्री राधाकिशन से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है, जिस पर पुनः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने तसल्ली पूर्वक पूछताछ की तो बताया कि मैंने श्री राधाकिशन से किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि नहीं ली है, राधाकिशन के साथ जो शिवरतन पुत्र श्री बुधाराम आया था, मैरे श्री बुधाराम को रूपये उधार दिये हुए थे, जो आज राधाकिशन व शिवरतन ने लाकर मुझे वापिस दिये हैं। शिवरतन मेरे गांव का ही निवासी है तथा मेरे व बुधाराम के आपस में लेन-देन है। मैंने उक्त रूपये लेकर मेरे पहनी पेंट की दांयी जेब में रखे हैं, जो अभी भी मेरी जेब में है। रिश्वत लेने की ताईद होने पर श्री जालम सिंह का दायां व बायां हाथ कलाई के उपर से मेरे निर्देश से क्रमशः श्री कानाराम कानि0 व श्री राजेन्द्र कानि0 से पकड़वाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को जरिये मोबाईल एसीबी कार्यालय पहुंचने की हिदायत दी गई। (नोट - पुलिस थाना सदर नागौर मुख्य मानासर चौराहे पर स्थित होने व थाने में आमजनों की आवाजाही अधिक होने एवं मौके पर भीड़भाड़ ज्यादा होने से आरोपी को हमराह लेकर सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु मय ट्रेप दल के एसीबी कार्यालय नागौर लेकर पहुंचे, जहां अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई।) उसी समय परिवादी श्री राधाकिशन भी पिछे-पिछे उपस्थित कार्यालय आया व डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया, जिसे मेरे द्वारा बन्द किया गया। परिवादी श्री राधाकिशन ने स्वतः ही बताया कि मैं कल दिनांक 11.08.2024 को पुलिस थाना सदर नागौर के प्रकरण संख्या 188/2024 में मुझे आरोपी नहीं बनाने के लिए सी.आई. साहब व रीडर महादेव से मिला तो रीडर ने मुझे रिश्वत के संबंध में बातचीत श्री जालम सिंह हैड कानि0 से करने के लिए कहा, जिस पर मैं आज दिनांक 12.08.24 को श्री जालम सिंह हैड कानि0 से पुलिस थाना सदर परिसर में मिला तो श्री जालम सिंह ने मुझे बताया कि मैं सी.आई. साहब से बात करके तुझे उक्त मुकदमें से निकलवा दूंगा व तुझे आरोपी नहीं बनायेंगे, जिसके लिए आपको 1,00,000/- रूपये देने पड़ेंगे, कम ज्यादा होगा तो सी.आई. साहब से बात कर लेंगे। उक्त रिश्वत राशि आज दिनांक को देना तय होने पर मैंने इनके कहेनुसार 80,000/- रूपये अभी-अभी इनको दिये हैं, इन्होंने रूपये दाहिनें हाथ में लेकर गिनकर पहनी हुई पेंट की दायीं जेब में रख लिये थे व 20,000/- रूपये मेरे निवेदन पर श्री जालम सिंह के कहने पर मैंने अपनी जेब में रख लिये। इसके बाद मैंने पुलिस थाना सदर नागौर के मुख्य द्वार के सामने खड़ा होकर आपको ईशारा किया था। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। एक गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री जालम सिंह के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः RH-1 व RH-2 अंकित किया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री जालम सिंह के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों

को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः LH-1 व LH-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ताबाद गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह से आरोपी श्री जालम सिंह की जामा तलाशी लिरवाई गयी तो आरोपी के पहनी हुई पेंट की आगे की दांयी जेब में 500-500 रूपये के 160 नोट मिले, जिनको पूर्व में बनी फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो हुबहू वही नोट होना पाये गये। जिनको गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात् एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री जालम सिंह के पहनने हेतु दूसरी पेंट की व्यवस्था कर पहनी हुई पेंट को सम्मान पूर्वक उतरवाकर पेंट की दांयी जेब को उलटकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः P-1 व P-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पेंट को सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील चिट कर मार्क P अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये नोटों को गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 160 नोट कुल 80,000/- रूपये होना बताया तथा दोनों गवाहों से रिश्वती राशि 80,000/- रूपये के नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में मुर्तिबा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो वही नोट हुबहू होना पाये गये। बरामद रिश्वती राशी 80,000 रूपये के नोटों का विवरण इस प्रकार है - 1. 2EK 463821, 2. 0ST 949427, 3. 2WD 216811, 4. 7EP 253097, 5. 6GK 379627, 6. 5EH 971582, 7. 7TP 922677, 8. 2NP 781892, 9. 3BM 346504, 10. 3BM 365489, 11. 5FN 660573, 12. 0GF 762522, 13. 7UF 437479, 14. 2FM 940589, 15. 0TD 072971, 16. 3AN 443766, 17. 6CS 755677, 18. 5EH 990982, 19. 3HA 245625, 20. 9NS 968886, 21. 6GV 261794, 22. 0QK 936250, 23. 6EM 888032, 24. 9VK 413358, 25. 2QT 962277, 26. 6GG 470879, 27. 3KE 271794, 28. 6SL 046136, 29. 9BS 107208, 30. 9PF 083608, 31. 9SD 578248, 32. 6BB 217059, 33. 6SP 517415, 34. 2FG 607608, 35. 0NM 291923, 36. 5NW 048395, 37. 1QK 639639, 38. 1UL 814617, 39. 7CF 140359, 40. 3QF 945359, 41. 4CQ 751813, 42. 6KM 577900, 43. 2WV 214961, 44. 8AV 897059, 45. 8RA 498562, 46. 0MC 048186, 47. 3PE 525965, 48. 0BQ 281121, 49. 1NP 139604, 50. 9DB 492544, 51. 0HG 875348, 52. 1KD 325101, 53. 8CV 254447, 54. 4QQ 469115, 55. 7UU 665044, 56. 2RG 362331, 57. 9LN 821508, 58. 7MW 522617, 59. 3BT 751306, 60. 1HA 731916, 61. 9BA 035785, 62. 5TB 632549, 63. 9DW 441274, 64. 3SW 532506, 65. 3BV 148056, 66. 5CK 807314, 67. 6MN 596111, 68. 4DP 024664, 69. 2KA 803660, 70. 1EF 573479, 71. 7KH 829595, 72. 8NA 764042, 73. 9NT 690152, 74. 9EF 054998, 75. 7LS 997760, 76. 4PU 348998, 77. 8BA 132823, 78. 0UW 944405, 79. 7AN 148580, 80. 9VR 207750, 81. 0UE 390436, 82. 9BN 162621, 83. 1FT 225219, 84. 4CL 450645, 85. 9GA 404757, 86. 7TU 357315, 87. 0CG 449650, 88. 6GE 360074, 89. 2QA 955822, 90. 8MA 697702, 91. 0CV 864690, 92. 5HS 063588, 93. 5NE 505131, 94. 3KF 352400, 95. 4PF 405588, 96. 7VC 291425, 97. 8CL 520998, 98. 9EL 123733, 99. 4KB 520351, 100. 2WD 782035, 101. 2WD 782036, 102. 2WD 782037, 103. 5CM 892107, 104. 1EK 074721, 105. 1WB 266411, 106. 8PM 449381, 107. 1PA 312727, 108. 4WL 217107, 109. 2PR 051413, 110. 3EB 652605, 111. 4WA 539347, 112. 6RM 443124, 113. 4DQ 756162, 114. 2NK 843660, 115. 7FW 415311, 116. 6AP 878863, 117. 6BE 242397, 118. 5QS 646688, 119. 8MU 723996, 120. 4UU 746371, 121. 8FP 298983, 122. 2WD 751793, 123. 9QW 251395, 124. 3DF 833596, 125. 2SK 745989, 126. 0MQ 460473, 127. 5PN 424130, 128. 2AQ 273778, 129. 8ML 391121, 130. 0BN 804950, 131. 0UB 342165, 132. 9CS 170416, 133. 6SC 300805, 134. 5BV 964555, 135. 6EH 227471, 136. 8AB 637229, 137. 3BK 374313, 138. 3WN 526567, 139. 5AE 276639, 140. 9GH 732490, 141. 2CW 363269, 142. 3FS 019874, 143. 9ET 071843, 144. 1MS 404829, 145. 3AB 625792, 146. 3EW 871293, 147. 3DD 171623, 148. 3QL 842152, 149. 0VN 855242, 150. 0MQ 317527, 151. 0ML 867818, 152. 4QB 219469, 153. 6VH 149819, 154. 8AL 238657, 155. 8RP 709173, 156. 7TL 579164, 157. 2WD 493113, 158. 5LH 062345, 159. 0CS 362489, 160. 2EG 218602 उपरोक्त सभी नोटों (80,000/- रूपये) को कागज की चिट में सिल्ड चिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि कब्जा एसीबी ली गई। ताबाद आरोपी श्री जालम सिंह हैड कानि0 से परिवादी श्री राधाकिशन के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 188/2024 की मूल पत्रावली के बारे में पूछा गया तो आरोपी जालम सिंह ने बताया कि प्रकरण संख्या 188/2024 का अनुसंधान श्री अजय कुमार जी सी.आई. साहब द्वारा किया जा रहा है। उक्त पत्रावली सी.आई. साहब के रीडर महादेव के पास है। जिस पर आरोपी से सी.आई. अजय कुमार व रीडर महादेव के मोबाईल नम्बर प्राप्त कर सम्पर्क करने के प्रयास किये गये तो दोनों के मोबाईल फोन स्वीच ऑफ होना पाये गये।

जिस पर थाना सदर पर गोपनीय रूप से जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि दोनों कार्यवाही की भनक लगते ही थाना से रूहपोश हो गये। आईन्दा उक्त पत्रावली प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की जायेगी तथा सी.आई. श्री अजय कुमार की आरोपी जालम सिंह से मिलीभगत के संबंध में संदिग्ध भूमिका की दौराने अनुसंधान जांच कर स्पष्ट की जायेगी। श्री महादेव राम कानि0 रीडर द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 11.08.2024 को परिवादी की होटल पर हुई वार्ता से जालम सिंह हैड कानि0 से आपस में मिलीभगत होने का अपराध प्रमाणित है। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री राधाकिशन से रिश्वती राशि के नोटों में से वापिस प्राप्त 20,000/- रूपये के नोट पेश करने का कहने पर श्री राधाकिशन ने अपनी जेब में से निकालकर पांच-पांच सौ रूपये के नोट पेश किये, जिस पर दोनों गवाहान से उक्त नोटों को गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/- रूपये होना बताया तथा दोनों गवाहों से राशि 20,000/- रूपये के नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में मुर्तिबा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो हुबहू वही नोट होना पाये गये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत आरोपी से निवेदन पर पुनः प्राप्त रिश्वती राशि 20,000 रूपये के नोटों का विवरण इस प्रकार है - 1. 8SL 666582, 2. 5FW 164997, 3. 8PH 070539, 4. 0CF 061146, 5. 7HW 341647, 6. 9NS 196723, 7. 2FM 454355, 8. 6NW 656992, 9. 8BR 928554, 10. 6RE 560175, 11. 5LT 798542, 12. 9GN 989365, 13. 6BB 231085, 14. 8DW 112277, 15. 5MA 300381, 16. 0CT 449967, 17. 3PD 347570, 18. 2HS 233500, 19. 3KU 691283, 20. 2VV 607962, 21. 0FM 488725, 22. 4FM 830369, 23. 2EM 146348, 24. 8BH 090685, 25. 2WD 976168, 26. 0RQ 507288, 27. 0PH 183600, 28. 1HP 908341, 29. 1LC 295586, 30. 8VV 053112, 31. 1CH 178814, 32. 8EL 969549, 33. 6DF 869259, 34. 3TA 591939, 35. 3CM 706811, 36. 4CB 204631, 37. 3MC 404621, 38. 6BS 533740, 39. 3SR 351176, 40. 2NC 939283 तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को पूर्व में दिये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत लेन-देन परिवादी श्री राधाकिशन व आरोपी श्री जालम सिंह के मध्य रूबरू हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वती लेन-देन की पुष्टि होना पाया गया। जिसकी फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इस प्रकार आरोपी श्री महादेव राम कानि0 (रीडर) व श्री जालम सिंह हैड कानि0 द्वारा आपस में मिलीभगत कर आरोपी कानि0 महादेव राम रीडर द्वारा दिनांक 11.08.2024 को परिवादी की होटल पर पहुंच परिवादी को रिश्वत देने के लिए दुष्प्रेरित कर रिश्वत राशि के बारे में श्री जालम सिंह हैड कानि0 से बात करने का कहने व आरोपी श्री जालम सिंह, हैड कानि0 नं0 1086, पुलिस थाना सदर, जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री राधाकिशन को पुलिस थाना सदर, नागौर के मुकदमा संख्या 188/2024 में आरोपी नहीं बनाने व मदद करने की एवज में अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 1,00,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर, मांग के अनुसरण में आज दिनांक 12.08.2024 को रिश्वत राशि 80,000/- रूपये पुलिस थाना सदर नागौर के मुख्य द्वार के पास परिवादी की कार में ग्रहण करने व उक्त रिश्वत राशि आरोपी श्री जालम सिंह के पहनी पेंट की दांयी जेब से बरामद होने पर आरोपीगण श्री जालम सिंह पुत्र श्री छगन सिंह, जाति राजपूत, उम्र 51 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट राजोद, पुलिस थाना कुचेरा, तहसील सांजू, जिला नागौर हाल हैड कानि0 नं0 1086, पुलिस थाना सदर, जिला नागौर व श्री महादेव राम पुत्र श्री मोहन राम, जाति जाट, उम्र 34 वर्ष, निवासी गाजू, पुलिस थाना कुचेरा, जिला नागौर हाल कानि0 713, पुलिस थाना सदर, जिला नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने पर आरोपी श्री जालम सिंह, हैड कानि0 को उपरोक्त जुर्म से आगाह कर अपने संवैधानिक अधिकारो से अवगत करवाते हुए वक्त 06.45 पी.एम. पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका निरीक्षण घटनास्थल मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में अब तक तैयार की गई समस्त फर्दात एवं जब्तशुदा आर्टीकल्स पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर की जिस पीतल की मोहर का प्रयोग किया गया, उक्त सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ताबाद डिजिटल टेपरिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज दिनांक 11.08.2024 व 12.08.2024 को आरोपीगण एवं परिवादी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के चार पैन ड्राईव व एक डीवीडी पृथक-पृथक बनवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड व पैन ड्राईव की हैज वैल्यू निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद डिजिटल टेप रिकॉर्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, वार्ता के चारों पैन ड्राईव अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर पृथक-पृथक शील्ड कर न्यायालय व आरोपीगण हेतु तथा एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में डालकर सभी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखे गये तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज परिवादी एवं आरोपी के मध्य दिनांक 12.08.2024 को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन हुई वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई

तथा डिजिटल टेपरिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के दो पैन ड्राईव व एक डीवीडी पृथक-पृथक बनवाये गये। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड व पैन ड्राईव की हैज वैल्यू निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद डिजिटल टेप रिकॉर्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, वार्ता के दोनों पैन ड्राईव अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर पृथक-पृथक शील्ड कर न्यायालय व आरोपी हेतु तथा एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में डालकर सभी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखे गये। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही में बरामद रिश्वत राशि कागज की चिट में शील्ड सुदा 80,000/- रुपये, परिवादी द्वारा प्रस्तुत आरोपी से पुनः प्राप्त रिश्वत राशि कागज की चिट में शील्ड सुदा 20,000/- रूपये, शील्ड शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2 तथा P, P-1, P-2, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के दो अलग-अलग कपड़े की थैलियों में सीव्ड सुदा मूल मैमोरी कार्ड एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के चार पृथक-पृथक सील्ड सुदा पैन ड्राईव एक न्यायालय व अन्य आरोपीगण हेतु व वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के दो पृथक-पृथक सील्ड सुदा पैन ड्राईव न्यायालय व आरोपी हेतु एवं दौराने जामा तलाशी कब्जा एसीबी लिया गया आरोपी जालम सिंह का मोबाईल फोन मय सिम कार्ड मालखाना प्रभारी श्री मोहनराम हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। बाद कार्यवाही परिवादी श्री राधाकिशन तथा स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक व श्री पंकज भाटी, वरिष्ठ सहायक को बाद ट्रेप कार्यवाही आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही का समय-समय पर रनिंग नोट पृथक से तैयार किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री महादेव राम कानि0 (रीडर) व श्री जालम सिंह हैड कानि0 द्वारा आपस में मिलीभगत कर आरोपी कानि0 महादेव राम रीडर द्वारा दिनांक 11.08.2024 को परिवादी की होटल पर पहुंच परिवादी को रिश्वत देने के लिए दुष्प्रेरित कर रिश्वत राशि के बारे में श्री जालम सिंह हैड कानि0 से बात करने का कहने व आरोपी श्री जालम सिंह, हैड कानि0 नं0 1086, पुलिस थाना सदर, जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री राधाकिशन को पुलिस थाना सदर, नागौर के मुकदमा संख्या 188/2024 में आरोपी नहीं बनाने व मदद करने की एवज में अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 1,00,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर, मांग के अनुसरण में आज दिनांक 12.08.2024 को रिश्वत राशि 80,000/- रूपये पुलिस थाना सदर नागौर के मुख्य द्वार के पास परिवादी की कार में ग्रहण करने व उक्त रिश्वत राशि आरोपी श्री जालम सिंह के पहनी पेंट की दांयी जेब से बरामद होने पर आरोपीगण श्री जालम सिंह पुत्र श्री छगन सिंह, जाति राजपूत, उम्र 51 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट राजोद, पुलिस थाना कुचेरा, तहसील सांजू, जिला नागौर हाल हैड कानि0 नं0 1086, पुलिस थाना सदर, जिला नागौर व श्री महादेव राम पुत्र श्री मोहन राम, जाति जाट, उम्र 34 वर्ष, निवासी गाजू, पुलिस थाना कुचेरा, जिला नागौर हाल कानि0 713, पुलिस थाना सदर, जिला नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो, राज0, जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीया (कल्पना सोलंकी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कल्पना सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61 (2) भारतीय न्याय संहिता, 2023. में आरोपीगण 1-श्री जालम सिंह पुत्र श्री छगन सिंह, जाति राजपूत, उम्र 51 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट राजोद, पुलिस थाना कुचेरा, तहसील सांजू, जिला नागौर हाल हैड कानि0 नं0 1086, पुलिस थाना सदर, जिला नागौर व 2- श्री महादेव राम पुत्र श्री मोहन राम, जाति जाट, उम्र 34 वर्ष, निवासी गाजू, पुलिस थाना कुचेरा, जिला नागौर हाल कानि0 713, पुलिस थाना सदर, जिला नागौर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री राकेश वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,एस0यू0 अजमेर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 182 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 901-04 दिनांक 13.08.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1 जोधपुर। 2 पुलिस अधीक्षक,जिला नागौर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर। 6 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Rakesh Kumar Verma **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 13/08/2024 21:

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	15/07/1973				
2	Male	10/07/1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है])